सं0 सः 14 / विविध–06 / 2006
बिहार सरकार
स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग

94(14)
7/2/07

संकल्प

विषयः – **शेट्टी आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों एवं राज्य के अन्य पदाधिकारियो के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।**

वर्तमान में राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी सेवक होने के नाते वो सारी चिकित्सीय व्यय प्रतिपूर्ति सुविधाएँ स्वतः उपलब्ध है जो अन्य किसी सरकारी कर्मी को उपलब्ध है । परन्तु सिविल रिट पीटीशन सं0 1022 / 89 ऑल इंडिया जजेज एशोसिएशन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में शेट्टी आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों एवं राज्य के अन्य पदाधिकारियों को भी निम्नलिखित प्रावधानों के साथ सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाय।

(i) राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों एवं राज्य के अन्य पदाधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यो को सभी सरकारी एवं सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी अस्पतालों तथा समय–समय पर सरकार द्वारा इस हेतु अधिसूचित गैर सरकारी अस्पतालो में होने वाले वास्तविक सम्पूर्ण चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाये । वास्तविक सम्पूर्ण चिकित्सा व्यय में अस्पताल के (कमरे का शुल्क / शय्या शुल्क) भी सन्निहित होगा । कमरे एवं शय्या शुल्क की उस हद तक प्रतिपूर्ति की जायेगी जिस हद तक भारत सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायिक एवं अन्य केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारी को किया जाता है। परंतु उपर्युक्त अस्पतालों के अतिरिक्त किसी अन्य गैर सरकारी निजी अस्पतालों में करायी गयी चिकित्सा पर होने वाले वास्तविक सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति उस हद तक की जाये जो किसी सरकारी या सरकार द्वारा अधिसूचित गैर सरकारी अस्पताल में इस हेतु व्यय होती ।

(ii) अत्यन्त खर्चीली चिकित्सा यथा किडनी प्रत्यारापण, हृदय शल्य क्रिया, कैंसर एवं स्पाइनल सर्जरी में प्रतिपूर्ति राशि की कोई सीमा नहीं होगी । इस चिकित्सा में व्यय होने वाले सम्पूर्ण वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति कंडिका–1 के अनुसार की जायेगी ।

(iii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने अधीनस्थ न्यायिक सेवा के पदाधिकारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को तथा जिला पदाधिकारी एवं विभागीय सचिव राज्य के अन्य पदाधिकारियों एवं उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के विपत्र को पारित करने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मामले में माननीय उच्च न्यायालय प्राधिकार होगा ।

(iv) राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी एवं राज्य के अन्य पदाधिकारियों को चिकित्सा पर होनेवाले व्यय की प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा तथा शेष 20 प्रतिशत की राशि का भुगतान उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्र के पारित होने के उपरान्त किया जायेगा ।

(v) उपरोक्त प्रतिपूर्ति संबंधी सभी दावे प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा संबंधी आवश्यकता प्रमाण पत्र/प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र तथा चिकित्सीय पूर्जा, अभिश्रव व कैशमेमों के साथ प्रस्तुत किये जायेगें । प्रतिपूर्ति की स्वीकृति में स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग के संकल्प संख्या 1070(14) दिनांक 20.5.2006 तथा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 1182(14) दिनांक 2.6.2006 में दिए गये मार्गदर्शनों का अनुपालन आवश्यक होगा ।

(vi) सेवानिवृत्त तथा कार्यरत सभी न्यायिक सेवा के पदाधिकारियो एवं राज्य के अन्य पदाधिकारियों को प्रत्येक माह 100/–(सौ रूपये) चिकित्सा भत्ता वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1775 दिनांक 2.4.05 एवं 912 दिनांक 16.2.02 के अनुसार देय होगा ।

2. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के आगामी अंक में सर्वसाधरण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। साथ ही राजपत्र की 500 प्रतियां स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाय।

Dupak
(दीपक कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :14/विविध–06/2006 94(14) पटना, दिनांक 7/2/07

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय एवं प्रेस गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सचिव, विधि विभाग,बिहार/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/वित्त विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार, पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Dupak
सरकार के सचिव

C:\Department\Section - 14\Sankalp Shety Ayog.doc